

राजस्थान-सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द

क्रमांक- प 14 ( ) स्था/18/ 4931

दिनांक 14.01.2019

आदेश

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्र क्रमांक राम/भू-अ0/ई-3/परीक्षा/प-279/2017/388-420 दिनांक 10.01.2019 द्वारा आवंटित व राजस्थान अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित सीधी भर्ती पटवारी प्रतियोगिता परीक्षा 2015 से चयनित अभ्यर्थियों को परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी पद पर नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय की एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9454/2017 देवेन्द्रसिंह मेहता बनाम राजस्थान राज्य तथा इस याचिका के साथ सलग्न अन्य याचिकाओं एस0बी0 सिविल रिट संख्या 8402/2017 मनीष चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस0बी0 सिविल रिट संख्या 8454/2017 श्रवणस्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 8829/2017 ओमप्रकाश खावा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 15538/2017 मोहिनी बनाम राजस्थान राज्य, एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 11711/2017 मनीष विश्नोई बनाम राजस्थान राज्य, एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 8263/2017 रोहिताश बनाम राजस्थान राज्य, एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 7870/2017 भोमाराम बनाम राजस्थान राज्य, एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 13151/2017 पूनम कंवर बनाम राजस्थान राज्य, एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 8110/2017 शंकरलाल झूडी बनाम राजस्थान राज्य, एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 18032/2017, एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 16106/2017, एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 17676/2017, एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 18049/2017, एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 18326 /2017, 10360/2017, 9735/2017, 10549/2017, 12009/2017, 11875/2017, 11874/2017, 11788/2017, 11878/2017, 11881/2017, 11877/2017, 11876/2017, 11879/2017, 8402/2017, 8413/2017, 8133/2017, 12552/2017, 12551/2017, 10690/2017, 11538/2017, 15109/2017 के निर्णय के अध्याधीन निम्नानुसार रहेगी।

(1) राजस्थान भू- राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 4 (सी0सी0) अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को पटवारी के पद पर 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रोबेशन ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया जाता है व नियम 5 के परन्तुक (1) के अनुसार नियत पारिश्रमिक (fixed Remuneration) देय होगा। वर्तमान में नियम पारिश्रमिक रु 14600/- प्रतिमाह है।

(2) प्रशिक्षण अवधि 6 माह की होगी। प्राशिक्षण समाप्ति के पश्चात होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर एवं दो वर्ष की प्रोबेशन अवधि सन्तोषजनक पूर्ण होने पर आपको नियमानुसार पटवारी पद की सेवाएँ नियमित करने की कार्यवाही की जा सकेगी। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसकी सेवाएँ नियमित नहीं की जाएगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रशिक्षणार्थी को इस आशय का अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षणोपरान्त राज्य सरकार के अधीनस्थ पटवारी के पद पर आपको कम से कम 03 वर्ष की सेवाएँ अर्पण करनी होगी अन्यथा आपके प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त राशि राज्य सरकार को लौटानी होगी।

(4) इस नियुक्ति के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम 2005 लागू होगी।

(5) प्रशिक्षण अवधि में कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(6) नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरान्त यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह तक उपस्थित नहीं होता है तो उसका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(7) शैक्षिक प्रमाण पत्र के दस्तावेज असत्य व कुटर्चित पाये जाने पर अपराधिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी एवं उक्त नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

(8) पुलिस सत्यापन अथवा अन्य किसी प्रकार की जाँच में विरोधाभास की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

क्र.सं.	नाम प्रशिक्षु पटवारी मय पिता का नाम	गृह जिला	जन्म दिनांक	लिंग	श्रेणी
1	पिकी चौधरी पिता श्री प्रमु सिंह चौधरी	अलवर	08.06.1992	महिला	GENF
2	श्री दिव्यराज सिंह पिता श्री राजेन्द्र सिंह चुण्डावत	राजसमन्द	20.12.1993	पुरुष	GENM
3	श्री शिवराम पिता श्री मोहन लाल शर्मा	जयपुर	10.02.1988	पुरुष	GENM
4	श्री बलराज निर्वाण पिता श्री लाल चन्द	हनुमानगढ	15.11.1990	पुरुष	OBCM

5	श्री सुखविन्दर सिंह पिता श्री सुरेन सिंह	अलवर	20.12.1989	पुरुष	OBCM
6	श्री रामस्वरूप पिता श्री सूरजमल गुर्जर	अजमेर	25.09.1988	पुरुष	OBCM
7	श्री भवरसिंह पिता श्री बंशीधर खरबास	सीकर	12.08.1995	पुरुष	OBCM
8	श्री प्रीतमसिंह पिता श्री गंगाराम	झुन्झुनु	15.09.1980	पुरुष	OBCMEX
9	श्री कृष्ण मुरारी मीणा पिता श्री मांगीलाल मीणा	बारां	22.07.1985	पुरुष	STM
10	श्री अनिल मीणा पिता श्री मदन लाल मीणा	जयपुर	17.05.1995	पुरुष	STM
11	श्री भूरालाल मीणा पिता श्री बाबूलाल मीणा	झालावाड	12.07.1989	पुरुष	STM
12	गुणवन्ती कुमारी पिता श्री घीसासिंह	राजसमन्द	23.03.1997	महिला	WIDGEN

नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारियों का दस्तावेज सत्यापन दिनांक- 15.01.2019 से 18.01.2019 तक कार्यालय जिला कलक्टर (भू अ.) राजसमन्द के कमरा नम्बर 212 में किया जाएगा व सत्यापन उपरान्त दिनांक 21.01.2019 को कार्यग्रहण किया जाना है । दिनांक 21.01.2019 से उक्त अभ्यर्थियों को जिले की किसी तहसील में कार्यरत पटवारियों के सहायतार्थ लगाया जाएगा। उक्त नवचयनित कार्मिकों का वेतन कार्यभार ग्रहण दिनांक से पटवार प्रशिक्षण शाला हेतु कार्यमुक्त दिनांक तक तहसीलों से प्रदत्त किया जाएगा। दिनांक 11.02.2019 को आंवटित प्रशिक्षणशाला में उपस्थिति देनी होगी । आंवटित प्रशिक्षणशाला हेतु दिनांक- 08.02.2019 को कार्यमुक्त किया जाएगा। कार्यमुक्त के साथ कार्मिक की सेवा पुस्तिका सम्बन्धी समस्त रेकार्ड सम्बन्धित पटवार प्रशिक्षणशाला में भिजवाये जाएंगे। प्रशिक्षणशाला में मूल प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होंगे। 6 माह प्रशिक्षण अवधि में विभागीय परीक्षा देने हेतु 75 प्रतिशत उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी।

जिला कलक्टर

राजसमन्द

दिनांक 14.01.2019

क्रमांक- प 14 ( )/भू अ/नि./स्था0/18/4932-4972  
प्रतिलिपि

1. संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-1 एवं ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
3. संभागीय आयुक्त उदयपुर संभाग उदयपुर
4. निदेशक राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर
5. जिला कलक्टर उदयपुर
6. जिला पुलिस अधीक्षक अलवर/राजसमन्द/जयपुर/हनुमानढ/अजमेर/सीकर/झुन्झुनु/बारां/झालावाड चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र के संबंध में राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु (लेण्ड रेकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 4(क) की कार्यवाही हेतु ।
7. अति. जिला कलक्टर नोडल अधिकारी राजसमन्द
8. उपनिदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजसमन्द नवनियुक्त पटवारियों के नियुक्ति पत्र को वेबसाईट पर ऑन लाईन कराना सुनिश्चित करे।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी राजसमन्द को प्रकाशनार्थ
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर/राजसमन्द/जयपुर/हनुमानढ/अजमेर/सीकर/झुन्झुनु/बारां/झालावाड अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जाँच कर प्रमाण पत्र उसी दिन अभ्यर्थी को उपलब्ध करावें।
11. प्रधानाचार्य पटवार प्रशिक्षण स्कूल देबारी उदयपुर
12. श्री ..... पिता श्री .....
13. व्यक्तिगत पत्रावली श्री ..... पिता श्री .....

जिला कलक्टर

राजसमन्द